संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्ति/सेल–संविदा/2021/102 भोपाल, दिनांक 13/01/2021

प्रति,

1/ आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल,म0प्र0।

2/ समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय
शासकीय/निजी म0प्र0।

3/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

4/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषय :– प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन उपरांत यू0जी0/पी0जी0 बंधपत्र चिकित्सकों की पदस्थापना के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ :– 1. चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010।
2. प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्व यू0जी0/पी0जी0 बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य बंधपत्र सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र।

विषयांकित प्रकरण में प्रदेश अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन उपरांत 01 वर्ष की अनिवार्य बंधपत्र सेवा हेतु चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के समय बंधपत्र निष्पादित किया जाता है। उक्त बंधपत्र के साथ चिकित्सकों को समस्त शैक्षणिक दस्तावेज अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा कार्यालय में ही जमा कर रख लिए जाते हैं एवं बंधपत्र अवधि पूर्ण होने अथवा बंधपत्र राशि जमा करने के उपरांत ही बंधपत्र चिकित्सकों को मूल दस्तावेज अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा वापस किए जाते हैं।

1/ वर्तमान में विभाग द्वारा सी0एम0एच0ओ0/कलेक्टर अथवा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय से 01 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के प्रमाण–पत्र, वेतन विवरण , ओ0पी0डी0 आईपीडी विवरण(सीएमएचओ) के आधार पर बंधपत्र पूर्ण करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

2/ प्रायः यह देखा गया है कि बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा पारिवारिक कारणों आदि का लेख करते हुए पिछले 02 से 05 वर्षों में पासआउट होने के बाद भी बंधपत्र अवधि पूर्ण न करने का लेख करते हुए, बंधपत्र हेतु नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाता है एवं विभाग द्वारा बंधपत्र चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी करने के उपरांत , चिकित्सक को इच्छुक पदस्थापना स्थल पर पदस्थापना न होने से वे तुरंत ही पदस्थापना संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं एवं चाहे गए स्थल पर पदस्थापना प्राप्त न होने से बंधपत्र अवधि पूर्ण नहीं करते हैं। 03–04 माह बाद संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सशोधित पदस्थापना हेतु पूर्व में दिए आवेदन पर कार्यवाही न होने संबंधी अवगत कराते हुए, पुनः चाहे गए कार्यस्थल हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बंधपत्र चिकित्सकों की नियुक्ति/पदस्थापना के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं एवं निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जावेगी :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत यदि बंधपत्र चिकित्सक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत बंधपत्र अवधि पूर्ण करना चाहते हैं तो वे इंटर्नशीप पूर्ण प्रमाण–पत्र/डिग्री–डिप्लोमा पूर्ण प्रमाण–पत्र संलग्न कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे हार्ड कॉपी में आवेदन मान्य नहीं किए जावेंगे, स्नातक एम0बी0बी0एस0 बंधपत्र चिकित्सकों से आवेदन पत्र ई–मेल ugbond.dhs@mp.gov.in एवं स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सकों से pgbond.dhs@mp.gov.in पर आवेदन प्राप्त किए जावेंगे। आवेदन की कॉपी gazattedbond@gmail.com पर भी प्रेषित की जावे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर दर्शित है। आवेदन पत्र के साथ संबंधित चिकित्सक को अपना फोटोआई0डी0 भी स्वहस्ताक्षररित कर स्केन कर संलग्न करना है, आई0डी0 संलग्न नहीं किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निरंतर.....2

बंधपत्र चिकित्सक जिस जिले/विकासखण्ड में पदस्थापना चाहते हैं उनके अधिकतम 05 विकल्प प्रस्तुत करेंगे। चाहे गए विकल्प पर चिकित्सकों की उपलब्धता/विभागीय आवश्यकता अनुसार विभाग विकल्प अथवा प्रदेश के किसी भी जिले में पदस्थापना हेतु आदेश जारी करेगा। पीजी चिकित्सकों की पदस्थापना शैक्षणिक योग्यता की उपयोगिता अनुसार की जावेगी।

2. बंधपत्र चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत आदेश में आवंटित पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण न करने वाले अथवा कार्यग्रहण कर बिना नियत्रंण अधिकारी की सक्षम अनुमति के अनुपस्थित होने वाले चिकित्सकों के पदस्थापना संशोधन संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। अपरिहार्य स्थितियों में ही बंधपत्र चिकित्सक के कार्यग्रहण करने के उपरांत संबंधित संस्था की कार्य रिपोर्ट ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 तथा वेतन पत्रक आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही संशोधन संबंधी आवेदनों पर विचार किया जावेगा।

3. बंधपत्र चिकित्सक आवंटित कर्तव्य स्थल से अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अन्य स्थिति में अनुपस्थित बंधपत्र चिकित्सकों को पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी एवं उन्हें अनिवार्यतः बंधपत्र राशि जमा कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जावेगा।

4. **पूर्व वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सक जिनके द्वारा आज दिनांक तक बंधपत्र अवधि हेतु कार्य संपादित नहीं किया गया है उन्हें 31.3.2021 तक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।** उक्त समयावधि पश्चात निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर बंधपत्र चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश/कार्यग्रहण करने की अनुमति संबंधी आदेश जारी नहीं किए जावेंगे एवं बंधपत्र निष्फल मानकर बंधपत्र राशि जमा कराने हेतु संबंधित चिकित्सक बाध्य होंगे :– 1. चिकित्सक के पी0जी0 अध्ययनरत/उच्च अध्ययनरत होने के कारण 2. स्वयं/माता–पिता के गंभीर बीमारी, टर्मीनल इलनेस, के चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करने पर, 3. महिला चिकित्सकों की स्थिति में विवाह, बच्चों की देखभाल, सिंगल पेरेंट, प्रसूति संबंधी प्रकरणों में कार्यग्रहण करने की अनिवार्यता पर शिथिलता के संबंध में विचार किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार विभागीय निर्णय से समस्त बंधपत्र चिकित्सकों को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी अवगत कराया जावे।

संलग्न :– आवेदन प्रारूप।

(डॉ संजय गोयल)
स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/01/विज्ञप्ति/सेल–संविदा/2021/103 भोपाल, दिनांक 18/01/2021

प्रतिलिपि, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. विशेष सहायक, मा0 मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
2. विशेष सहायक, मा0 मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,म0प्र0।
4. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,म0प्र0।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग,सतपुड़ा भवन,भोपाल,म0प्र0।
6. मिशन संचालक,एन0एच0एम0, भोपाल,म0प्र0।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,म0प्र0।
8. निज सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म0प्र0।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी,एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय,भोपाल,म0प्र0।

स्वास्थ्य आयुक्त
मध्यप्रदेश

प्रति,

स्वास्थ्य आयुक्त,म0प्र0।

विषय–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्नातक(UG) बंधपत्र चिकित्सक द्वारा नियुक्ति/पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन ।

क्र	विवरण	बंधपत्र चिकित्सक द्वारा भरा जावे
1.	नाम	
2.	शैक्षणिक योग्यता	
3	– चिकित्सा महाविद्यालय का नाम जहाँ से स्नातक अध्ययन पूर्ण किया है (1) प्रवेश बैच – (2) एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण वर्ष/दिनांक– (3) इंटर्नशीप पूर्ण करने का दिनांक – (4) इंटर्नशीप पूर्ण करने का दिनांक – (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) (5) पूर्णांक/प्राप्तांक	
4	आवेदन किस प्रकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है (जो लागू नहीं हो उसे क्रास X कर देवें) 1. नवीन नियुक्ति आदेश 2 पूर्व में जारी आदेश के पालन में कार्यग्रहण करने की अनुमति (अनुपस्थिति का कारण एवं दस्तावेज संलग्न करें) 3 पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन (पूर्व पदस्थापना पर कार्य संबंधी प्रमाण–पत्र/कार्य विवरण/वेतन पत्रक संलग्न करें) 4 पूर्व पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण करने की अनुमति (नियुक्ति/आदेश क्रमांक एवं दिनांक अवकाश/अनुपस्थिति के संबंध में सक्षम स्वीकृति की प्रति)	1. 2. 3. 4.
8	पदस्थापना हेतु विकल्प (05 जिले/विकासखण्ड जिलों के विकल्प)	
9	अन्य कोई जानकारी /रिमार्क	

–:: घोषणा ::–

मैं डॉ..... निवासी..... यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दर्शित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरी बंधपत्र नियुक्ति हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पूर्ण 12 माह की सेवाएँ निरंतर करने हेतु सहमति प्रस्तुत करता हूँ।

हस्ताक्षर

डॉ.....

पता एवं मोबाईल क्रमांक.....

दिनांक .....

प्रति,

स्वास्थ्य आयुक्त,
म0प्र0।

विषयः—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत अनिवार्य बंधपत्र सेवा स्नातकोत्तर (**PG**) बंधपत्र चिकित्सक द्वारा नियुक्ति/पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन ।

क्र	विवरण	बंधपत्र चिकित्सक द्वारा भरा जावे
1.	नाम	
2.	शैक्षणिक योग्यता	
3.	आवेदन किस प्रकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है	बंधपत्र अंतर्गत नवीन नियुक्ति/ पदस्थापना संशोधन/ कार्यग्रहण करने की अनुमति
4	—स्नातकोत्तर **PG** चिकित्सकों हेतु — चिकित्सा महाविद्यालय का नाम एवं बैच जहाँ से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अध्ययन पूर्ण किया गया है —अध्ययन पूर्ण होने का दिनांक (प्रमाण—पत्र संलग्न करें) — पूर्णांक/प्राप्तांक	
6	आवेदन किस प्रकरण में प्रस्तुत किया जा रहा है (जो लागू नहीं हो उसे क्रास **X** कर देवें) 1. नवीन नियुक्ति आदेश (डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण—पत्र) संलग्न करें 2. पूर्व में जारी आदेश के पालन में कार्यग्रहण करने की अनुमति (पूर्व आदेश का पालन न करने का कारण, यदि उच्च अध्ययन किया गया है तो डिग्री/डिप्लोमा की छायाप्रति एवं अवधि स्पष्ट रूप से लिखे अथवा अनुपस्थिति का कारण एवं दस्तावेज संलग्न करें) 3. पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन (पूर्व पदस्थापना पर कार्य संबंधी प्रमाण—पत्र/कार्य विवरण/वेतन पत्रक संलग्न करें/पूर्व पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण नहीं करने का कारण)	1. 2. 3.
8	पदस्थापना हेतु विकल्प (05 जिले/विकासखण्ड के विकल्प)	
9	अन्य कोई जानकारी/रिमार्क	

—:: घोषणा ::—

मैं डॉ ..... निवासी..... यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दर्शित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मेरी बंधपत्र नियुक्ति हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पूर्ण 12 माह की सेवाएँ निरंतर करने हेतु सहमति प्रस्तुत करता हूँ।

हस्ताक्षर

डॉ .....

पता— एवं मोबाईल क्रमांक.....

दिनांक .....